>

Title : Need to exempt M. Phil degree holders from NET/SET examination for being eligible for lecturership in colleges.

श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव (धुले): महोदया, यूजीसी के प्रथम नियम के अनुसार 30 जून, 2009 तक एम. फील डिग्री प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को नेट/सेट की परीक्षा देने में छूट दी गई थी। यूजीसी ने जून, 2006 में निकले हुए परिपत्र के अनुसार यह नियम जाहिर किया था और इस नियम के अनुसार व्याख्याताओं को नियुक्ति के आदेश दिये गये थे। इस विषय में मुंबई हाईकोर्ट में प्रतिज्ञा पत्र भी दाखिल किया गया था। लेकिन अभी 1 जून, 2009 को यू.जी.सी ने अपने वेबसाईट पर यह परिपत्रक दिखाना शुरू किया है कि एम.फिल के छात्रों को भी नेट/सेट परीक्षा देना जरूरी है। महोदया, प्राध्यापकों की नियुक्ति के महत्वपूर्ण विषय के बारे में यू.जी.सी की भूमिका असमंजस भरी रही है। कितने छात्र नेट तथा सेट की परीक्षा में पास हो सकते हैं, यह बिना सोचे समझे निर्णय लिये गये। इस तरह नियम बदलाव करने से पहले जो प्राध्यापक एम.फिल की परीक्षा उत्तीर्ण कर छः सात सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन पर इस निर्णय का क्या असर होगा, यह सोचने की कोशिश भी नहीं की गई है। यू.जी.सी के इस निर्णय से कितने प्राध्यापक बेरोजगार हो जायेंगे तथा रिक्त जगहों के लिये नये नेट/सेट उत्तीर्ण प्राध्यापक कहां से आयेंगे इस बात को भी ध्यान में लेने की जरूरत नहीं समझी गई। इस निर्णय से छात्रों का व्याख्याताओं का तथा पूरे शिक्षा क्षेत्र का भारी नुकसान हो रहा है। इस बारे में भी सरकार को गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि यू.जी.सी द्वारा 1 जून, 2009 को जारी किया गया नोटिफिकेशन को खारिज किया जाये और संबंधित छात्रों को तथा व्याख्याताओं को न्याय दिया जाये। अगर सरकार और यू.जी.सी इस बात के लिए आश्वस्त है और यह समझते हैं कि नेट तथा सेट परीक्षा अनिवार्य करना अत्यावश्यक है तो यू.जी.सी और मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा मुंबई उच्च न्यायालय में दिये प्रतिज्ञा पत्र का पालन करते हुए 30 जून, 2009 तक जिन छात्रों ने एम.फिल किया है उन्हें नेट तथा सेट की परीक्षा देना अनिवार्य न किया जाये। उसके आगे जो नियम यू.जी.सी उचित समझे वह अमल में लाया जा सकता है।